न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 22 सन् 2016

रीझन देवी ––––––––वादी

बनाम

शंकर पासवान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–30.11.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–04.02.2021 अंदर आदेश 22 नियम 4 वो दफा 151 जाप्ते दिवानी पर प्रतिउत्तर दिनांक 02.11.2021 सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने प्रतिस्थापन आवेदन देकर निवेदन किया है कि उपरोक्त वाद मे मुदालह सं0–1 शंकर पासवान बतारिख 09.08.2020 को अपने वारिसान नरेश पासवान, सुरेश पासवान वो अवधेश पासवान वो दोख्तर रीता देवी, रेडियम देवी वो जौजे मु0 मंगली देवी के साथ इजमाल रहते हुए फौल कर गए। उपरोक्त वाद को अग्रसारित करने वास्ते उपरोक्त वाद मे मुदालह सं–1 शंकर पासवान का नाम कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज होना निहाय जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदालह सं0–1 के नाम को कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाए ताकि हकरसी होवे।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उपराक्त सवाल कानूनन काबिले खारिज है। उपरोक्त वाद मे मुदालह द्वारा मुदालह सं0–1 की मृत्यु की सूचना 12.08.2020 को दिया गया जो अभिलेख पर है। बावजूद मुदई द्वारा समयसीमा के अंदर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल नही किया गया है। समय से प्रतिस्थापन आवेदन नही देने के कारण स‍्ट मुदालह सं0–1 के प्रति

अबेट कर गया है। मुदई एवं मुदालह का घर एक ही खेसरा मे है। साथ ही दोनो का घर दीवाल भी सटा हुआ है। जिस कारण यह कहना कि मृत्यू की तिथि की जानकारी नही है गलत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदई का सवाल दिनांक–04.02.2021 खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेंख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी का प्रतिस्थापना आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब के माफो हेतु आवेदन दिया गया है, सूट अबेट कर गया हो तो उसे अपास्त करने हेतु आवेदन दिया गया है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–18.01.2021 को विलम्ब माफ करते हुए मो0–500/–रू0 खर्चे पर न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से चौदह दिन के अंदर सिंरिस्तेदार के समक्ष अपने आवेदन के आलोक मे संसोधन कर लें।

वाद दिनांक–18.12.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ
सोनपुर सारण।